8/2/22	... न्यायालय, कार्य का बाहुल्य/वादिकार ... है। अतः अग्रीम कार्यवाही हेतु दिनांक 14.3.22 को पेश हो।
14.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थी राजपैरोकार प्रकरण में राजहित निहित नहीं होने से जबाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाब बन्द किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र पेश कर के निवेदन किया है कि ग्राम बिदियाद खाता संख्या 758 जिसके पुराने खाता संख्या 676 है का कुल रकबा 22.6634 हैक्टयर भूमि है में प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार हैं। जिसमें राजस्व कार्मिको ने सेटलमेंट में प्रार्थीगण की जाती साद के स्थान पर स्थान जाट व निवासी बिदियाद के स्थान पर सबलपुर अंकित कर दिया है जो गलत है। पुनः सबलपुर जाती साद के स्थान पर जाट व ग्राम सबलपुर के स्थान पर बिदियाद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश प्रदान करावें। P.T.O.

पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानो व बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण ने सम्वत 2043 से 2057 तक की जमाबन्दीयां पेश की हैं जिसमें सभी प्रार्थीगण की जाती जाट दर्ज है तथा साकिन देह दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगण की जाती साद व निवासी सबलपुर अंकित है जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान सोफ्रिकेशन में राजस्व रिकार्ड में त्रुटि हुई हैं। जो दुरूस्त योग्य है।

अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिदियाद के खाता संख्या 758 की भूमि में प्रार्थीगण की जाती साद के स्थान पर जाट एवं ग्राम सबलपुर के स्थान पर बिदियाद दर्ज कर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 7/5/1/22

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)